रा. मु. अ. 33 4 -2000-10 लाख फा.

APP
CrII

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

गोकुल वगै० बनाम कैलाश वगै०

किस्म मुकदमा त.ट प्रा.पत्र नं० 99 सन 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 06/01/2026<br>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 16/06/2025 को भूमि खाता सं. नया 97 पुराना 95 में खसरा नं. 274, 372, 384, 385, 57 कुल किता 05, कुल रकबा 1.45 है. खाता सं. नया 96, पुराना 94 के खसरा नं. 329 लगा. 331, 377, 378, 383, 386, 388 लगा. 398 कुल किता 18, कुल रकबा 2.78 है. भूमि खाता सं. नया 95, पुराना 93 के खसरा नं. 399, 400, 401, 405 कुल किता 4 कुल रकबा 0.82 है. खाता सं. नया 31 पुराना 29 के खसरा नं. 284, 301 कुल किता 02, कुल रकबा 0.83 है. में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी थी। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब पेश नहीं हुआ। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरणों का निस्तारण निम्नांकित तीन बिंदुओं के आधार पर किया जाता है -<br>०४/६ | |

लगातार

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 1. प्रथम दृष्टया मामला 2. सुविधा का संतुलन 3. अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत<br>1) प्रथम दृष्टया मामला - वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि है। जिसमें प्रार्थी तकासमा चाहता है, दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का स्वरूप बिगड़ने की संभावना बनी रहती है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है।<br>2) सुविधा का संतुलन व 3) अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत - सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों बिंदुओं का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है। उक्त दोनों बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में होना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रा० पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 16/06/25 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा Confirm मूल वाद के निर्णय होने तक की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर मूल वाद के हमकिता हो।<br>[signature]<br>06.01.26 | |